पत्र सं0-एम-04-22/2011.....8789...../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक- 05-10-2023

विषय :- **बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आलोक में अन्तिम रूप से संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप झारखंड राज्य से बिहार राज्य में अथवा बिहार राज्य से झारखंड राज्य में योगदान करने वाले सरकारी सेवकों के बकाये भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण (clarification)।**

महाशय,

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आलोक में अन्तिम रूप से सम्वर्ग विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य में योगदान करने वाले सरकारी सेवकों को झारखंड राज्य में कार्यरत अवधि के बकाये वेतनादि के भुगतान के निमित वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-8966 दिनांक-28.08.2012 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत है।

उक्त दिशा-निर्देश का कार्यकारी अंश निम्नवत् अवलोकनीय है:-

"सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड राज्य से अन्तिम रूप से बिहार में योगदान करने वाले सरकारी सेवकों के बकाये राशि जिसका दायित्व झारखंड राज्य का है; का भुगतान विपत्र लोक लेखा शीर्ष-8793-अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा, लघुशीर्ष-125-झारखंड के साथ लेन-देन, उपशीर्ष-0001-अंतर्राज्यीय उचन्त लेखा के अन्तर्गत ही पारित किया जायेगा । व्यय की गयी राशि राज्य के समेकित निधि से व्यय नहीं होगा बल्कि लोक लेखा के अन्तर्गत निहित राशि का समायोजन महालेखाकार स्तर से किया जायेगा । झारखंड से संबंधित राशि की निकासी के लिये एक स्वीकृति आदेश निर्गत करना होगा । इसके लिए आवंटन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राशि का भुगतान लोक लेखा निधि से हो रहा है । बकाये वेतन भत्ते की राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म-17 में विपत्र प्रस्तुत कर किया जायेगा जिसके दावे की सम्पुष्टि किये जाने के संबंध में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा ।"

इसी प्रकार वित्त विभाग, झारखंड, राँची के स्तर से भी बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आलोक में अंतिम रूप से संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप एक राज्य से दूसरे राज्य (बिहार या झारखंड) में योगदान करने वाले सरकारी सेवकों का पूर्व राज्य में कार्यरत अवधि के बकाये वेतन (पुनरीक्षण वेतन सहित) के भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश पत्रांक-1471 दिनांक-24.04.2014 निर्गत है ।

उक्त दिशा-निर्देश का कार्यकारी अंश निम्नवत् अवलोकनीय है:-

1. **दिनांक-15.11.2000 के पूर्व का बकाया का दायित्व निर्वहन वित्त विभाग, झारखंड के पत्र सं०-5447/वि० दिनांक-06.09.2002 के अनुसार ही किया जाय । संसूचित निर्णय दोनों राज्य सरकार के बीच सहमति के आधार पर निर्गत है ।**
2. **दिनांक-15.11.2000 के बाद की अवधि का वेतन बकाया के भुगतान का दायित्व उसी राज्य का होगा, जहाँ वे कार्यरत थे । कार्यरत अवधि के वेतन बकाया की संपुष्टि करा कर पूर्व के निर्णय के अनुरूप पदस्थापित कार्यालय से बकाया वेतन का भुगतान जारी रखा जाय । वेतन या वेतनमान के पुनरीक्षण या परिवर्त्तन होने पर भी उक्त प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा ।**

इस प्रकार दोनों राज्यों **(बिहार एवं झारखंड)** के स्तर से जारी दिशा-निर्देश का निहितार्थ यह है कि अंतिम रूप से संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप कर्मी जिस राज्य में योगदान करेंगे, उसी राज्य के स्तर से पूर्व की अवधि **(बिहार अथवा झारखंड)** के बकाया का भुगतान होगा । इस हेतु संबंधित राज्य से बकाया राशि की संपुष्टि आवश्यक होगी ।

/sec-4/159

उपर्युक्त दिशा-निर्देश के बावजूद प्रशासी विभागों से इस प्रकार के बकाया भुगतान के बिन्दु पर सहमति/मंतव्य दिये जाने संबंधी प्राप्त अनुरोध पर कार्रवाई की जाती है । इनमें कतिपय मामले न्यायिक वाद से भी संबंधित होते है ।

<u>सम्यक विचारोपरांत संदर्भित बकाया भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जाती है:-</u>

1. संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप अंतिम रूप से बिहार राज्य में योगदान करने वाले सरकारी सेवक झारखंड राज्य में पदस्थापन अवधि के बकाये वेतनादि का दावा वर्त्तमान पदस्थापन पर प्रस्तुत करेंगे । इस हेतु संदर्भित अवधि में अनुमान्य वेतन एवं प्राप्त वेतन के विवरणी (यथा, अनुमान्य वेतन – प्राप्त वेतन = बकाया राशि) की सत्यापित प्रति झारखंड राज्य से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

2. संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप अंतिम रूप से झारखंड राज्य में योगदान करने वाले सरकारी सेवक बिहार राज्य में पदस्थापन अवधि के बकाये वेतनादि का दावा वर्त्तमान पदस्थापन पर प्रस्तुत करेंगे । इस हेतु झारखंड राज्य अथवा संबंधित सरकारी सेवक के अनुरोध के आलोक में संदर्भित अवधि में अनुमान्य वेतन एवं प्राप्त वेतन के विवरणी (यथा, अनुमान्य वेतन – प्राप्त वेतन = बकाया राशि) की सत्यापित प्रति बिहार राज्य के स्तर से भेजा जाना आवश्यक होगा ।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होगा कि बकाया भुगतान के ऐसे मामलो में प्रशासी विभागों के स्तर से ही नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जानी है । इस हेतु वित्त विभाग के स्तर से परामर्श/मंतव्य की आवश्यक नहीं है । यदि उपर्युक्त स्पष्टीकरण के बावजूद किसी सुसंगत बिन्दु पर मंतव्य की आवश्यकता हो तो प्रशासी विभाग द्वारा अभिमत गठित कर वित्त विभाग से अनुरोध किया जा सकता है ।

अतएव अनुरोध है कि संदर्भित बकाया भुगतान के मामले में वित्त विभागीय पत्र सं०-8966 दि०-28.08.2012 द्वारा विहित प्रक्रिया एवं उपर्युक्त कंडिकाओं में स्पष्ट की गई स्थिति के आलोक में नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक-एम-04-22/2011.....8789...../वि० पटना, दिनांक 05-10-2023

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महालेखाकार झारखंड, पो०-हिनू, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांक-एम-04-22/2011.....8789...../वि० पटना, दिनांक 05-10-2023.

प्रतिलिपिः-सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)

/sec-4/160